

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, (आत्मा) धनबाद की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2023 को आयोजित आत्मा, शासकीय निकाय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में संधारित

कार्यवाही :-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा की अनुमति से जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, धनबाद के द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम परियोजना निदेशक, द्वारा उपस्थित आत्मा शासकीय निकाय के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का परिचय दिया गया एवं उनका स्वागत किया गया, तदोपरान्त आत्मा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आत्मा द्वारा किसानों को जागरूक करने एवं उनकी आय बढ़ाने के साथ आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवंटन एवं विभिन्न गतिविधियों में की गई व्यय तथा वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवंटन तथा विभिन्न गतिविधियों में किए जाने वाले व्यय पर विस्तृत चर्चा की गई।

परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का भौतिक वित्तीय प्रतिवेदन PPT माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, आत्मा एवं शासकीय निकाय के सदस्यों द्वारा बिन्दुवार समीक्षा की गई। लक्ष्य - 146.13400 के विरुद्ध प्राप्त आवंटन में - 129.73375 का व्यय किया गया है। आवंटन की कमी के कारण लक्ष्य के अनुरूप व्यय नहीं हुआ है। जिसमें 119.46000 वेतनादि में एवं 10.27375 प्रशिक्षण परिभ्रमण आदि में हुआ है जिसे अनुमोदित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का कार्य योजना एवं वित्तीय लक्ष्य बिन्दुवार PPT के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस वित्तीय वर्ष में DWEP - 147.67540 की स्वीकृति SLSC द्वारा दी गई है :-

प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण :-

- (i) अन्तराज्यीय :- अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक वर्ष अलग-अलग फसल पर किसानों को प्रशिक्षण परिभ्रमण कराया जाता है जिससे किसान किसी भी फसल में कुशल नहीं हो पाते हैं अतः जिला के लिए मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल को चिन्हित किया जाय। निदेश के आलोक में धनबाद के किसानों की स्थिति एवं मौसम पर विचार-विमर्श के उपरान्त मिलेट/तेलहन/दलहन पर प्रशिक्षण परिभ्रमण कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- (ii) राज्यस्तरीय :- राज्यस्तरीय प्रशिक्षण हार्प, पलान्डु, राँची या के0वी0के0, हजारीबाग में कराने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- (iii) जिलास्तरीय :- जिला स्तरीय प्रशिक्षण आत्मा, धनबाद या के0वी0के0, धनबाद के सहयोग से करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(iv) **प्रत्यक्षण :-** धनबाद के मौसम, भूमि की संरचना एवं किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्षण के लिए विभिन्न फसलों पर विचार-विमर्श किया गया।
तेलहन फसल सरसों, कुसुम पर रबी में प्रत्यक्षण कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

1. **किसान मेला :-** किसान मेला के संबंध में चर्चा की गई। धनबाद जिला में 10 प्रखण्ड है समेति के निदेशानुसार एक वित्तीय वर्ष में एक मेला के लिए 4.00 लाख का प्रावधान है। इस वर्ष टुण्डी, गोविन्दपुर, बलियापुर एवं तोपचाँची प्रखण्ड में किसान मेला (किसान मेला-सह-उधान प्रदर्शनी) कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. **किसान वैज्ञानिक अन्तर्मिलन :-** परियोजना निदेशक, आत्मा, द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 2 किसान वैज्ञानिक अन्तर्मिलन का प्रावधान है आवंटन उपलब्ध रहने पर कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3. **किसान गोष्ठी एवं क्षमता संवर्द्धन :-** इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक प्रखण्ड में एक किसान गोष्ठी कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4. **कृषक पाठशाला :-** इस वित्तीय में प्रस्तावित प्रत्येक प्रखण्ड में एक किसान पाठशाला रबी में कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. अन्य सभी प्रस्तावित कार्यक्रम को आवंटनानुसार कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
6. बैठक की कार्यवाई के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा संबद्ध विभाग के सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग में कार्यान्वित योजनाओं एवं अन्य विभागों में कार्यान्वित योजनाओं में परस्पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर अभिसरण किया जाय ताकि किसानों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल सकें।
7. **BTM/ATM स्थानान्तरण :-** परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा बताया गया कि समेति से पत्र प्राप्त हुआ है कि जिन-जिन **BTM/ATM** का पदस्थापन अवधि तीन वर्षों से अधिक हो गया है उनका स्थानान्तरण करना है, अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि संचिका में स्थानान्तरण से संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।
8. **आत्मा कर्मियों के हड़ताल अवधि का वेतन :-** आत्मा कर्मियों द्वारा अपने माँगों को लेकर हड़ताल 43 दिनों तक किया गया था। हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के लिए समेति द्वारा आत्मा शासकीय निकाय से पारित कराकर भुगतान के निदेश के आलोक में चर्चा किया गया। आत्मा कर्मियों का आकस्मिक अवकाश होता है उपार्जित अवकाश नहीं होता है इस स्थिति में उक्त अवधि का समायोजन नहीं हो सकता है। शासकीय निकाय द्वारा पारित किया गया है कि छुट्टि के दिनों में किये गये कार्यों का एवं आगे छुट्टि के दिनों में काम कराकर समायोजन कर लिया जाय।
9. **BTM/ATM/कृषक मित्रों के रिक्त पदों को भरना :-** इस विषय वृहद चर्चा की गई। चर्चा में मूल समस्या नियुक्ति उपरान्त वेतन भुगतान पाई गई। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि विभाग से सहमति प्राप्त कर नियुक्ति की नियमानुकूल प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

- **NFSM (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) :-** परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 को भौतिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विगत वर्ष कृषि यंत्र के विरुद्ध 43 पम्पसेट एवं स्प्रेयर मशीन का वितरण किया गया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेति, झारखण्ड, राँची द्वारा धनबाद जिला के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) वार्षिक कार्य योजना में 35.73414 का **SLSC** द्वारा स्वीकृति दिया गया।

- **Left over area:-** वार्षिक कार्य योजना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण खरीफ में प्रत्यक्षण का कार्य नहीं किया गया है। रबी में समेति से **Left over area** में प्रत्यक्षण कराने का पत्र प्राप्त है। जिस पर चर्चा की गई है। निदेश दिया गया कि दलहनी फसलों पर प्रत्यक्षण कराया जाय। लाभुकों के चयन में पारदर्शित वरती जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

—ह0—

परियोजना निदेशक,
आत्मा, धनबाद।

—ह0—

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
आत्मा, धनबाद।

ज्ञापांक :- 768

धनबाद/दिनांक :- 09.10.2023

प्रतिलिपि :- आत्मा, शासकीय निकाय के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, धनबाद।

ज्ञापांक :- 768

धनबाद/दिनांक :- 09.10.2023

प्रतिलिपि :- निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, धनबाद/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, धनबाद।